संघे शक्ति सर्वदा

सत्यमेव जयते

लेखपाल संघ जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी0 संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

web.www.lekhpal.wordpress.com
Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रुड़की रोड, निकट छटी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258

भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639

धनंजय कुमार श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण

नीरज कुमार राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234

मनीष कुमार पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9454449099

करूणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष

सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229

लेखा परीक्षक

शमशेर सिंह
मो. 8168037301

पत्रांक ....महामंत्री/86....   दिनांक ..15.01.2025....

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष महोदय,
राजस्व परिषद,उ0प्र0।

विषयः– ई–खसरा पड़ताल/एग्री स्टैक फसल सर्वे के दौरान सर्वेयर के समक्ष उत्पन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कराये जाने विषयक।

महोदया,

संलग्न पत्र जिलामंत्री रामपुर उ0प्र0 लेखपाल संघ दिनांक 13.01.2025 का अवलोकन करने की कृपा करें जिसमें जी0पी0एस0 मैपिंग/सुपर इम्पोज आकृति तथा राजस्व नक्शा व स्थलीय स्थिति में भिन्नता एवं अन्य तकनीकी व व्यावहारिक समस्याओं (संलग्न पत्र में चित्र के माध्यम से स्पष्ट की गयी है) के दृष्टिगत एग्रीस्टैक डिजिटल क्राप सर्वे में आ रही समस्याओं में सर्वे रेंज 0.00 मीटर करने के बाद अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए सर्वे रेंज बढ़ाये जाने की मांग की गयी है।

महोदय पूर्व में भी कई बार पत्राचार एवं वार्ता के माध्यम से एग्रीस्टैक डिजिटल क्राप सर्वे में आ रही तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है किन्तु उक्त समस्याओं का समाधान होने के स्थान पर उसमें वृद्धि हो रही है। ऐसी समस्याओं के नियमित बने रहने की स्थिति में रबी एग्रीस्टैक डिजिटल क्राप सर्वे किया जाना सम्भव न होगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा पूर्व में दिये गये पत्रों एवं जनपद रामपुर द्वारा प्रस्तुत संलग्न पत्र में उल्लिखित समस्याओं पर विचार करते हुए निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. जी0पी0एस0 मैपिंग, राजस्व नक्शा एवं गाटे की भौगोलिक स्थिति में भिन्नता, घने आबादी क्षेत्र, कई छोटे छोटे गाटाओं को मिलाकर बनाये गये एक संयुक्त खेत की स्थिति, बड़े बडे वन क्षेत्रों मे कई कई गाटा, बड़ें–बड़ें भूखण्ड होने, अन्ना पशुओं के कारण तारबन्दी से भूखण्ड में प्रवेश की समस्या एवं उसमें विद्युत करेंट की आशंका, तथा नदी/नाला/जलभराव आदि के **दृष्टिगत सर्वे रेंज कम से कम 300 मीटर की जाये** जिससे बाढ़/जलभराव अथवा नदी /दरिया पार तथा जंगल झाड़ी जैसे दुर्गम क्षेत्रों की पड़ताल की जा सके।
2. सर्वर की क्षमता में वृद्धि की जाये जिससे सर्वे कार्य सुगमता एवं तीव्रता के साथ समय से हो सके।
3. ऐप में गाटा बढ़ते हुए कम में दिखायी देने चाहिए और गाटा का अंकन 4 अंक (0001, 0002 की तरह) में होना चाहिये।

— (P.T.O)

Scanned with OKEN Scanner

4. सर्वे करते समय नक्शे में सर्वे गाटा के आस पास के सभी गाटों के नम्बर नक्शें मे प्रदर्शित नहीं होते हैं। गाटे प्रदर्शित होने की व्यवस्था ऐप में की जाये जिससे उसी स्थल पर स्थित अन्य गाटों का सर्वे सुगमता पूर्वक एवं कम समय में हो सके।

   अथवा जिस लोकेशन पर लागिन किया जाये उस लोकेशन पर स्थित आस–पास के समस्त गाटा मैप पर स्वतः प्रदर्शित हो तथा मैप पर प्रदर्शित गाटा को क्लिक करके सर्वे करने की सुविधा प्रदान की जाये।

5. वर्तमान सर्वे करते समय गतवर्ष सर्वे का डाटा प्रदर्शित हो तथा रबी/जायद पड़ताल के समय वर्तमान फसली वर्ष की पूर्व फसल (खरीफ/रबी) प्रदर्शित होने की व्यवस्था ऐप में की जाये।
6. सर्वे करते समय भूखण्ड का सर्वे अपलोड होने के पूर्व संशोधन का विकल्प प्रदान किया जाये।
7. विभिन्न कारणों से अथवा पहुॅच से बाहर (नदी/नाला/जलभराव/तालाब/ प्रतिबन्धित क्षेत्र जैसे एयरपोर्ट, सैन्य छावनी आदि) होने के कारण सर्वे न किये जा सकने वाले गाटा को पोर्टल/ डैशबोर्ड से कारण सहित हटाने की व्यवस्था एप में ही की जाये। पृथक से ऑफलाईन पत्राचार की व्यवस्था न हो।
8. अकृषिक क्षेत्रफल यथा आबादी/भटठा/फैक्ट्री आदि एक श्रेणी लिखने के बाद अन्य श्रेणी के पृथक–पृथक नाम एवं क्षेत्रफल लिखने की व्यवस्था नहीं है। ऐप में एक से अधिक श्रेणी के अकृषिक क्षेत्रफल अंकित करने हेतु "फसल जोड़े" विकल्प की भांति अकृषित जोड़ें का विकल्प प्रदान किया जाये।
9. कुछ नकदी/कछियाना फसलों का विकल्प ऐप में नहीं है। अन्य फसल में फसल का नाम लिखने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये।
10. ऐप में बाग का विकल्प उपलब्ध कराया जाये तथा विभिन्न श्रेणी के पेंडों की संख्या नामवार अंकित किये जाने की व्यवस्था की जाये। वृक्षों के नाम में सागौन का विकल्प नहीं है।
11. राजस्व ग्राम के नक्शे में कई गाटा संख्याएं जिनका क्षेत्रफल छोटा बना है, उनको नक्शे में उनकी भौतिक स्थिति के बजाय नक्शे के किसी अन्य हिस्से में पृथक से दर्शाया गया है तथा उनको स्कैन करके KML या KMZ फाईल बनाने में उसी तरह से एग्री स्टैक ऐप पर SUPERIMPOSE कर दिया गया है। जिससे पड़ताल करते समय गाटे के वास्तविक स्थिति से भिन्न दिखाता है, जिससे पड़ताल में अन्तर आता है।
12. मिनजुमला गाटों के सम्बन्ध में भूलेख नियमावली के परिच्छेद क 64 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार क,ख, ग, घ आदि से बने हुए सभी मिनजुमला गाटा को एक नम्बर मानते हुए पड़ताल किये जाने की व्यवस्था दी हुई है किन्तु ऐप में अलग–अलग पड़ताल करनी पड़ रही है जिससे पड़ताल बिना स्थलीय विभाजन के होने के कारण स्वामित्व के विवाद उत्पन्न हो जा रहे है। ऐसे प्रकरणों में मौके पर पड़ताल में व्यवधान/कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति / न्यायिक विवाद बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

    इसी प्रकार कई गाटा एक ही काश्तकार/जोत के होने के कारण सभी गाटे मिलाकर एक खेत के रूप में बोये जाने के प्रकरण तथा स्थल पर काफी बड़े क्षेत्र में बाढ़ आदि के कारण मेढ़ समाप्त होने /जलभराव के कारण भौतिक विभाजन स्पष्ट न होने की स्थिति में भी कई गाटा एक साथ सम्मिलित होते हैं। ऐसी स्थिति में गाटावार पृथक–पृथक पड़ताल किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस बात का समाधान भूलेख नियमावली के परिच्छेद क 65 में दिया गया है जिसके अनुसार इस समस्त गाटों को एक खेत मानते हुए पड़ताल करनी होती है। ऐप में ऐसी व्यवस्था न होने के कारण पृथक–पृथक पड़ताल बाध्यकारी है।

    उपरोक्त दोनों परिस्थितियों के अनुसार मिनजुमला गाटा एवं मिले हुए /एक साथ बोये हुए गाटा की पड़ताल करने हेतु .भूलेख नियमावली के परिच्छेद क 64 तथा क 65 के अनुरूप ऐप में भी संशोधन करने की कृपा करें।

(P-TO)

Scanned with OKEN Scanner

13. एग्री ऐप सर्वे की गाईडलाईन्स के अनुसार एन्ड्राईड 12 अथवा उच्च श्रेणी के मोबाईल आवश्यक हैं। लेखपालों को 2019 में उपलब्ध कराये गये मोबाईल पूर्व में ही खराब हो चुके है तथा निजी मोबाईल गत ई खसरा पड़ताल/ एग्री स्टैक सर्वे के कारण हीट होकर खराब हो गये हैं। अतः उच्च गुणवत्ता व अधिक क्षमता की बैटरी के स्मार्टफोन/टैबलेट जायद पड़ताल के पूर्व उपलब्ध कराने की कृपा करें।

14. एग्री स्टैक फसल सर्वे मानदेय /प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये गये सर्वे के अनुपात में नहीं किया जा रहा है और न ही नियमित रूप से किया जा रहा है। सर्वेयर आई डी पर किये गये एकल फसल सर्वे तथा बहुफसल सर्वे के गाटा की संख्या के अनुसार शासनादेश में निर्धारित मानदेय का भुगतान कराया जाये एवं तहसीलवार भुगतान की स्थिति की समीक्षा परिषद स्तर से डैश बोर्ड पर आनलाईन नियमित रूप से कराने की कृपा करें।

15. लेखपालों के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं तथा 10 प्रतिशत लेखपाल बिना बस्ते के विभिन्न पटलों पर सम्बद्ध हैं। केवल 40 प्रतिशत लेखपाल ही कार्य हेतु उपलब्ध हैं। अतः सर्वेयर नियुक्त करने हेतु शासनादेश 16 जून 2023 व 04 अगस्त 2023 में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार जनपदों में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल (तहसील व चकबन्दी), कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, गन्ना विभाग के गन्ना सर्वेयर, पंचायत विभाग के पंचायत सहायक आदि की संख्या के अनुसार राजस्व ग्राम/ गाटा संख्या के अनुसार समानुपातिक विभाजन कर सर्वेक्षण क्षेत्रों का बंटवारा किया जाये। **अन्य विभाग (कृषि/गन्ना/पंचायत) के सर्वेयर के पर्यवेक्षण हेतु उसी विभाग के पर्यवेक्षण अधिकारियों को सुपरवाईजर बनाया जाये तथा उनकी नियमित समीक्षा की जाये।**

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 अपर मुख्य सचिव कृषि, उ0प्र0 शासन।
3. मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
4. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद।
5. समस्त सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।
6. समस्त पदाधिकारीगण, उ0प्र0 लेखपाल संघ को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं पर अधिकारियों को संज्ञानित करायें।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

13. एग्री ऐप सर्वे की गाईडलाईन्स के अनुसार एन्ड्राईड 12 अथवा उच्च श्रेणी के मोबाईल आवश्यक हैं। लेखपालों को 2019 में उपलब्ध कराये गये मोबाईल पूर्व में ही खराब हो चुके है तथा निजी मोबाईल गत ई खसरा पड़ताल/ एग्री स्टैक सर्वे के कारण हीट होकर खराब हो गये हैं। अतः उच्च गुणवत्ता व अधिक क्षमता की बैटरी के स्मार्टफोन/टैबलेट जायद पड़ताल के पूर्व उपलब्ध कराने की कृपा करें।

14. एग्री स्टैक फसल सर्वे मानदेय /प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये गये सर्वे के अनुपात में नहीं किया जा रहा है और न ही नियमित रूप से किया जा रहा है। सर्वेयर आई डी पर किये गये एकल फसल सर्वे तथा बहुफसल सर्वे के गाटा की संख्या के अनुसार शासनादेश में निर्धारित मानदेय का भुगतान कराया जाये एवं तहसीलवार भुगतान की स्थिति की समीक्षा परिषद स्तर से डैश बोर्ड पर आनलाईन नियमित रूप से कराने की कृपा करें।

15. लेखपालों के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं तथा 10 प्रतिशत लेखपाल बिना बस्ते के विभिन्न पटलों पर सम्बद्ध हैं। केवल 40 प्रतिशत लेखपाल ही कार्य हेतु उपलब्ध हैं। अतः सर्वेयर नियुक्त करने हेतु शासनादेश 16 जून 2023 व 04 अगस्त 2023 में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार जनपदों में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल (तहसील व चकबन्दी), कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, गन्ना विभाग के गन्ना सर्वेयर, पंचायत विभाग के पंचायत सहायक आदि की संख्या के अनुसार राजस्व ग्राम/ गाटा संख्या के अनुसार समानुपातिक विभाजन कर सर्वेक्षण क्षेत्रों का बंटवारा किया जाये। **अन्य विभाग (कृषि/गन्ना/पंचायत) के सर्वेयर के पर्यवेक्षण हेतु उसी विभाग के पर्यवेक्षण अधिकारियों को सुपरवाईजर बनाया जाये तथा उनकी नियमित समीक्षा की जाये।**

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 अपर मुख्य सचिव कृषि, उ0प्र0 शासन।
3. मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
4. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद।
5. समस्त सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।
6. समस्त पदाधिकारीगण, उ0प्र0 लेखपाल संघ को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं पर अधिकारियों को संज्ञानित करायें।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

जनपद शाखा–रामपुर (उ0प्र0)

पंजीकृत संख्या – 75-4/11-A/359 14 नवम्बर 1962 (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

कार्यालय : लक्ष्मी नगर आगापुर रोड रामपुर -244901

अमरीश कुमार
जिलाध्यक्ष
M-9758165855

सुमित कुमार सक्सेना
जिला मंत्री
M-8447995556 Email:jmls.rampur@gmail.com

नरेंद्र सिंह
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष)

सुबोध कुमार
(कनिष्ठ उपाध्यक्ष)

तफ़्सीर अहमद
(उपमंत्री)

अजयपाल
(कोषाध्यक्ष)

जबर सिंह
(ऑडिटर)

पत्रांक - जि.म/20250113 /01 दिनांक – 13/01/2025

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
रामपुर

विषय- रबी एग्रीस्टेक डिजिटल क्रॉप सर्वे में रेंज (०.०) किये जाने के कारण आ रही तकनीकी समस्या के सम्बन्ध में

महोदय

आपके संज्ञान में लाना समीचीन होगा कि वर्तमान फसली वर्ष रबी की डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो चूका हैं जिसमे सर्वे कार्य में रेंज जो पूर्व में १५० मीटर थी उसको घटाकर ०.० मीटर कर दिया हैं इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह पहल वास्तविक फसल सर्वेक्षण को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी साथ ही इसके धरातल पर व्यवहारिकता के सम्बन्ध में आने वाली जटिल परिस्थितियों के सम्बन्ध में आपको अवगत कराने का निर्देश हुआ हैं

- पूर्व में जब डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं होता था तो प्रायः किसी चौराहे पर बैठकर पूछताछ के आधार पर फसल पैंसिल से लिख ली जाती थी फिर जब फॉर्म मिलते थे उसके बाद अंकित किया जाता था जो एक अनुमानित फसल गोषवारा शासन के लिए उपलब्ध करता था। भौगोलिकी परिस्थिति और वर्षों से लेखपाल के पद खाली रहने के कारण मानवीय दृष्टिकोण से सरसरी तौर पर अनुमानित फसल की सूचना ग्रामवार उपलब्ध हो जाती थी। **इस प्रकार की व्यवस्था में अतरिक्त क्षेत्र एवं राजस्व विभाग के अन्य कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाते थे किन्तु वर्तमान परिस्थिति में लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय सघन डिजिटल क्रॉप सर्वे में लग रहा हैं** जबकि जनता, शासन और अधिकारीगण की अपेक्षा लेखपालों की तत्काल उपलब्धता में पूर्व के अनुसार हैं।

Scanned with OKEN Scanner

- डिजिटल क्रॉप सर्वे में जीपीएस मैपिंग भगौलिक परिस्थिति से काफी इतर हैं जिसे निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता हैं ।यहाँ पर चकमार्ग 19 की मैपिंग मौके से काफी अंतर हैं और मौके पर चकमार्ग की मौके की स्थिति और मैपिंग में वी शेप बन रही जिस कारण चकमार्ग पूरा का पूरा खेत में दिखाई दे रहा हैं।

- तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा अवगत कराया गया हैं कि जी पी ऐस एक्यूरेसी हैंडसेट या नेटवर्क की कम्पेटिबिलिटी पर निर्भर हैं उपरोक्त छाया चित्र से देखा जा सकता हैं कि **जी पी ऐस एक्यूरेसी 6.63 से 45.45 M तक अंतर ला रही हैं** जिस कारण मौके पर होकर भी काफी देर तक एक ही सर्वे करने के लिए बहुत घूमना पड़ता हैं चलते हुए हैंडसेट की जी पी ऐस एक्यूरेसी परिवर्तित होती रहती और ०.० मीटर दक्षता प्राप्त नहीं हो रही हैं।
- आबादी में सर्वे करते हुए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हैं जिसमे आवासीय मकान के अंदर जा कर सर्वे दर्ज करना पड़ेगा यह अत्यंत जटिल स्थिति उत्पन्न कर रहा हैं।

Scanned with OKEN Scanner

- ऐसी भी स्थिति आ रही हैं जिसमे ०.० मीटर दक्षता प्राप्त होने पर सर्वे पूर्ण हो जाता हैं किन्तु उसको सुरक्षित करते समय पुनः सन्देश (**You have to be within 0.0 meters in given boundry**) आ जाता हैं।

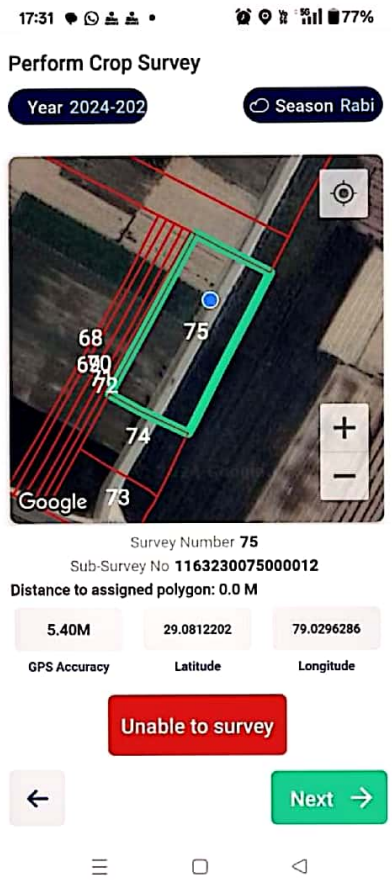

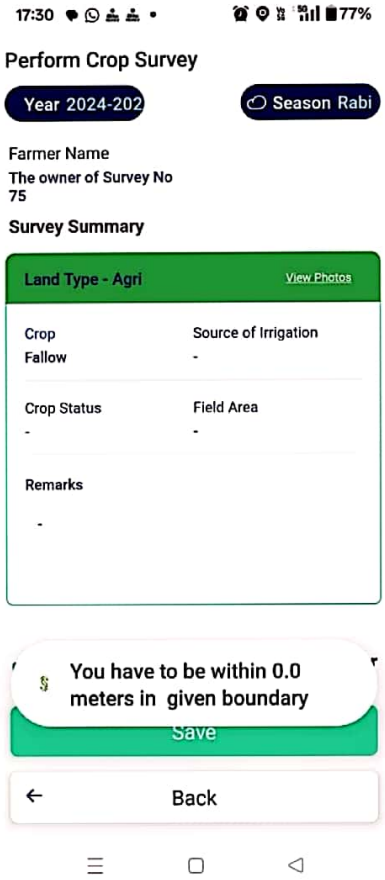

THESE TWO PICTURES DEMONASTRATE THE SITUATION PRIOR AND POST EXECUTION OF SURVEY NO 75

- समसामयिक स्थिति (रियल टाइम पोजीशन) और मैपिंग में बहुत अंतर हैं।

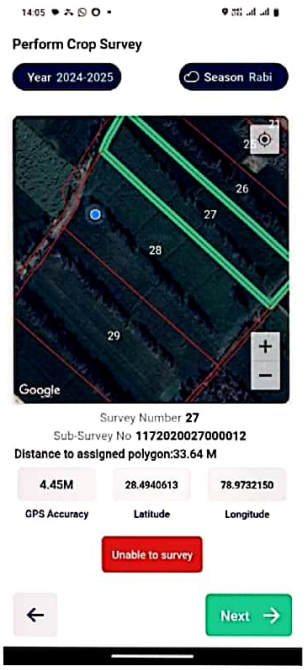

चित्र में नीला रंग सर्वेयर की स्थिति हैं जवकि सर्वेयर जिस स्थान पर हैं वह सर्वे 28 और सर्वे 29 की सीमा (मेड़) हैं जबकि एप्लीकेशन में खसरा संख्या 28 का मध्य बिंदु हैं।

Scanned with OKEN Scanner

- महोदय इस प्रकार खेतों में घुसने से **फसल ख़राब होने , सांप ,विष्कापड़ा** आदि का बहुत खतरा हैं; जिस कारण सर्वेयर के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो सकता हैं। इसके अतरिक्त कुछ ग्रामों में तेंदुआ भी देखा जा चूका हैं।

SERIOUS THREAT TO LIFE

SURVEYORS ENCOUNTERED LIFE THREATENING REPTILES LIKE SNAKE & MONITOR LIZARD DURING KHARIF SURVEY

सघन डिजिटल सर्वे के कारण जीवन संकट की उच्च प्रत्याशा एवं उपरोक्त परिस्थिति के फलस्वरूप मैप एवं रास्ते में भिन्नता से सर्वे को किर्यान्वित करने में अत्यधिक जटिलता का अनुभव हो रहा हैं एवं दक्षता लगभग 90 प्रतिशत प्रभावित हो रही हैं ऐसे में लगभग सभी सर्वेयर्स को सक्रीय करना एवं रेंज को पुनः 150 मीटर किया जाना उचित होगा।

महोदय परिवार के मुखिया हैं एवं एक न्यायप्रिय ,जनप्रिय अधिकारी हैं अतः उक्त के सन्दर्भ में शासन स्तर पर उपरोक्त बिन्दुओ से अवगत कराने की अपील एवं उचित मार्गदर्शन अपेक्षित हैं

सुमित कुमार सक्सेना (जिला मंत्री)

<u>प्रतिलिपि</u>

- **श्रीमान अपर जिला अधिकारी महोदय (प्रशासन) की सेवा में प्रेषित**
- **श्रीमान अपर जिला अधिकारी महोदय (वित एवं राजस्व) की सेवा में प्रेषित**
- **श्रीमान भूलेख अधिकारी रामपुर की सेवा में प्रेषित**

Scanned with OKEN Scanner